न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—207/2017/225 (2017/00207)

1. हरिसिंह पुत्र सायरसिंह, जाति राजपूत,
2. रामसिंह पुत्र कुन्दनसिंह, जाति राजपूत,
   निवासी ग्राम तिलाना, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रवण पुत्र भोलू, जाति खारोल,
2. महावीर पुत्र भोलू, जाति खारोल,
   निवासी ग्राम तिलाना, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये प्रबंधक, ब्रांच तिहारी, तहसील नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 19.6.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 6/2016.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री मदनसिंह रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 4 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 19.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात ग्राम तिलाना, तहसील नसीराबाद में खाता संख्या 737/102, 136, 699 व खसरा नंबर 491 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 492 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 खड्डा कुआं व खसरा नंबर 555 रकबा 0.37 है0 अवस्थित है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ग्राम तिलाना में खाता संख्या 620/585 खसरा नंबर 545 रकबा 0. 39 है0 कृषि भूमि स्थित है जिसके वह स्वामी है । प्रार्थीगण के खसरा नंबर 491, 492 व 555 में कृषि कार्य के लिए आवागमन का कोई मार्ग

उपलब्ध नही है । अतः अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 545 की उत्तरी या दक्षिणी सींव से मार्गाधिकार उपलब्ध कराया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 19.6.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है । अपीलांटस को अपनी आराजियात में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांटस की आराजी में आवागमन हेतु रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 545 की उत्तरी या दक्षिण सींव से रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित था । मौका रिपोर्ट में भी अपीलांटस की आराजी में आवागमन का कोई रास्ता नही होना बताया गया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रास्ते के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 की आराजी खसरा संख्या 545 के उत्तरी दिशा में हाल खसरा नंबर 493 व 494 की खातेदारी भूमि है जिसका प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कोई अंकन नहीं किया है । अपीलांटस के खेतों व खसरा नंबर 545 तक जाने के लिए खसरा नंबर 544, 598, 592, 595 व 594 में से होकर जाना पड़ेगा किन्तु अपीलांटस अन्य खसरा नंबरान के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया है । इसके अतिरिक्त अपीलांट ने खसरा नंबर 545 की दक्षिणी दिशा मे से रास्ता चाहा है जो खसरा नंबर 554 तक जाता है जो कि गै0मु0 खान है जहां पर अपीलांटस की आराजी विद्यमान नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 491, 492 व 555 पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 545 की उत्तरी या दक्षिणी सींव से रास्ते का अनुतोष चाहा था । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार, नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की है । जिस पर भू—अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 15.11.2016 को मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है । उक्त मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 1 में अंकित किया कि प्रस्तावित आराजी पर जाने के लिए वर्तमान में तिलाना से ढाल पी0डब्ल्यू0 सड़क से खसरा नंबर 594, 595, 592, 598, 544 तक मौके पर रास्ता बना हुआ है जिससे आवागमन हो रहा है परन्तु खसरा नंबर 555 तक जाने हेतु खसरा नंबर 545 की मेड़ से होकर जाते है । '' पैरा संख्या 3 में अंकित किया है कि '' चाहे गये मार्ग से खसरा नंबर 594 रकबा 0.033 है0 सिवायचक, खसरा नंबर 595 रकबा 0.025 है0 मगना/छीतर 1/2 कौम गुर्जर, किशोर छबलानी/परसराम छबलानी

1/2 हिस्सा कौम सिन्धी, खसरा नंबर 592 रकबा 0.026 है0 उपरोक्त, खसरा नंबर 598 रकबा 0.04 है0 नोरती पत्नि हरलाल, घीसालाल पि0 हरलाल, समदरा, मंजू, ग्यारसी पुत्रियां हरलाल 1/2 हिस्सा, मूली पत्नि रामचंद, संजू, मंगली पुत्रियां रामचंद कौम खारोल, खसरा नंबर 544 रकबा 0.02 है0 सिवायचक एवं खसरा नंबर 545 रकबा 0.36 है0 श्रवण, महावीर पि0 भोलू कौम खारोल की भूमियां अवस्थित है जिनमें से रास्ते हेतु भूमियां ली जावेगी ।" उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट की आराजियात में आवागमन हेतु रास्ते में आने वाली भूमियों के समस्त खातेदारों को अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में पक्षकार कायम नहीं किया है जबकि प्रभावित खातेदारों को भी प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 545 के दक्षिणी दिशा में से रास्ता खसरा नंबर 554 तक जाता है जो कि गै0मु0खान है, जहां पर अपीलांटस की खातेदारी आराजी नहीं है । प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा रास्ते में आने वाली खातेदारी भूमियों के प्रभावित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.6.2017 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर